

# NSW सरकार ने घोषणा की है कि वह कमजोर व्यस्कों की सुरक्षा के लिए एक नई वृद्धावस्था व विकलांगता कमीशनर की स्थापना करेगी



Hindi

**NSW सरकार ने घोषणा की है कि वह 1 जुलाई 2019 से एक नए वृद्धावस्था व विकलांगता कमीशनर की स्थापना करेगी, जिससे विकलांग व्यस्कों व वृद्ध लोगों को घर व समुदाय में दुर्व्यवहार, अवेलहना व शोषण से बचाया जा सके।**

## कमीशनर की आवश्यकता क्यों है?

NSW सरकार हमारे समुदायों के सबसे अधिक कमजोर सदस्यों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी को गम्भीरता से लेती है। दुर्भाग्यवश, हम जानते हैं कि हमारे समुदाय के विकलांग व वृद्ध लोग दुर्व्यवहार, अवेलहना व शोषण के सबसे अधिक शिकार होते हैं।

कई समीक्षाओं व सर्वेक्षणों ने इस पर जोर दिया है कि NSW को इस मुद्दे के समाधान के लिए अधिक कार्य करना चाहिए, जिसमें लोकपाल की हाल ही की रिपोर्ट 'NSW में कमजोर व्यस्कों के साथ दुर्व्यवहार व उनकी अवेलहना - कार्यवाही की आवश्यकता' व 2016 की संसद द्वारा की गई वृद्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार की जाँच-पड़ताल भी शामिल है।

कमीशनर स्थापित करने से घर व समुदाय में विकलांग व वृद्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार, अवेलहना व शोषण का सामना करने की काबलियत को मज़बूत बना कर इन रिपोर्टों में बताई गई चिन्ताओं को दूर किया जा सकता है।

## कमीशनर क्या करेगा?

कमीशनर की मुख्य भूमिका इस प्रकार होगी:

- घर व समुदाय में ऐसे व्यस्क जिन्हें विकलांगता है या वृद्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार, अवेलहना व शोषण करने का आरोप लगाए जाने पर उसकी जाँच-पड़ताल की जाए।
- जाँच-पड़ताल हो जाने के बाद कमजोर व्यस्कों व उनके परिवारों/देखभाल कर्ताओं को सहायता दी जानी।
- समुदाय में नियमित रूप से होने वाले दुर्व्यवहार, अवेलहना व शोषण से संबंधित मुद्दों के बारे में सरकार को बताना व सलाह देना।
- दुर्व्यवहार, अवेलहना व शोषण के बारे में समुदाय में जागरूकता लाना, जिसमें इन मामलों से कैसे बचाव, उनकी पहचान व उनका सामना करना शामिल है।
- विकलांगता सेवाओं व सहायता प्राप्त रहने व खाने के स्थानों से संबंधित सरकारी सामुदायिक भेंटकर्ता कार्यक्रम (Official Community Visitors program) कार्यकर्ता का प्रशासन करना।

## कमीशनर के क्या अधिकार होंगे?

कमीशनर को नए, कड़े अधिकार दिए जाएँगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे मामलों की सही तरीके से जाँच-पड़ताल कर पाएँ। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अपने आप जाँच-पड़ताल आरम्भ करने या किसी के बताने या शिकायत करने के बाद जाँच-पड़ताल करने का अधिकार होना।
- जाँच-पड़ताल करने के अंश के रूप में तालाशी लेने के वारन्ट के लिए आवेदन देने व उसे कार्यन्वित करने, व प्रमाणों को ज़ब्त करने का अधिकार।
- जानकारी एकत्रित करना व अधिकारों को साझा करना।

आवश्यक रूप से, कमीशनर स्वतंत्र होगा व अपने कार्य में मन्त्रियों के निर्देश व निरीक्षण में नहीं होगा।

## कमीशर अन्य एजेन्सियों के साथ कैसे काम करेगा?

कमीशर को NSW के प्रत्येक पुलिस कमान्ड के नए विशेषज्ञ वृद्ध दुर्व्यवहार अधिकारियों द्वारा सहायता दी जाएगी। यह अधिकारी अपराध संबंधी व्यवहार की जाँच-पड़ताल व जुर्म निवारण गतिविधियों में कमीशर के साथ मिल-जुल कर काम करेंगे।

कमीशर का ध्यान इस पर केन्द्रित होगा कि लोगों के साथ उनके घर या समुदाय में क्या होता है। पर वह उन एजेन्सियों के साथ मिलजुल कर काम करेगा जिन पर उन लोगों जिन्हें विकलांगता व वृद्ध देखभाल सेवाएँ [NDIS कमीशन व वृद्ध देखभाल शिकायत कमीशर

(the NDIS Quality and Safeguards Commission and Aged Care Complaints Commissioner)] मिल रहीं हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी होती है।

## क्या कमीशर NSW वृद्ध दुर्व्यवहार सहायता फ़ोनलाइन (NSW Elder Abuse Helpline) के बदले में होगा?

वृद्ध दुर्व्यवहार सहायता फ़ोनलाइन की जिम्मेदारी कमीशर को दे दी जाएगी। सहायता फ़ोनलाइन को जाँच-पड़ताल का कार्य दे कर सुदृढ़ बनाया जाएगा।

## मैं दुर्व्यवहार, अवेल्हना व शोषण की समस्याओं के विषय में 1 जुलाई 2019 से पहले कहाँ बता सकता हूँ?

यदि आपको कमीशर के स्थापित होने से पहले सहायता चाहिए तो आप निम्नलिखित संस्थाओं से मदद माँग सकते हैं:

यदि आपको इसके बारे में चिन्ता है तो	संपर्क करें	संपर्क का विवरण
वृद्ध दुर्व्यवहार	वृद्ध दुर्व्यवहार सहायता फ़ोनलाइन	1800 628 221
विकलांग व्यक्ति के साथदुर्व्यवहार	राष्ट्रीय विकलांगता दुर्व्यवहार और अवेल्हना हॉटलाइन (National Disability Abuse and Neglect Hotline)	1800 880 052
विकलांगता सेवा प्रदानकर्ता का आचरण	NDIS कमीशन (NDIS Commission)	1800 035 544
वृद्ध देखभाल सेवा प्रदानकर्ता	वृद्ध देखभाल शिकायत कमीशनर (Aged Care Complaints Commissioner)	1800 550 552
ऐसा मामला जिसे तत्काल सहायता चाहिए	NSW पुलिस (NSW Police)	000

## अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें

[www.facs.nsw.gov.au](http://www.facs.nsw.gov.au) या (02) 9377 6000 पर फ़ोन करें